

## सराहनीयकार्य जनपद सम्भल दिनांक-06.10.2019

### एटीएम तोड़कर नकदी चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 05 शातिर अभियुक्त चोरी के 6,76,500 रुपये व अवैध शस्त्र व एटीएम काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार थाना चन्दौसी

दिनांक 22.09.2019 को थाना चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत मालगोदाम रोड स्थित कैनरा बैंक के एटीएम का लॉक तोड़कर 7,13,400 रुपये चोरी कर लिये गये थे । जिसके सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर मु0अ0सं0 392/19 धारा 427/380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद व अपर पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चन्दौसी श्री अशोक कुमार के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 05.10.2019 को यूनियन बैंक के एटीएम के पास कचहरी रोड चन्दौसी से अभियुक्त गण 1. संजीव कुमार, 2. राजू उर्फ रघुनाथ, 3.कालू उर्फ विक्रम 4. अनिल कुमार, 5. जैनेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी किये गये 06 लाख 76 हजार 05 सौ रुपये एवं एटीएम काटने के उपकरण सहित 02 कार (एसेन्ट एवं इटीओस कार) बरामद की गयी ।

#### विवरण पूछताछ-

अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग जगह-जगह लगे एनसीआर कम्पनी के एटीएम को निशाना बनाकर उसमें यह सुनिश्चित करते हैं कि यह एटीएम आनलाइन है या नहीं. इसके अतिरिक्त यह भी देखते हैं कि इसमें सेन्ट्रल अलार्म है अथवा नार्मल अलार्म है और गेट में एटीएम से एन्ट्री है या नहीं है तथा सीसीटीवी कैमरा सही लगा है कि नहीं या एटीएम पर गार्ड है या नहीं है, हम लोग ए.टी.एम. से चोरी करने से कुछ दिन पहले उस ए.टी.एम. की रैकी करते हैं तथा ए.टी.एम. का इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खराब कर चले जाते हैं फिर जब कंपनी वाले उसे ठीक कराते हैं जिसमें ए.टी.एम. को ड्रिल कराना पड़ता है और वहां पर एक निशान बन जाता है हम उसी जगह पुनः ड्रिल कर लॉक तोड़कर पैसा चोरी कर लेते हैं तथा ए.टी.एम.से पैसा चोरी करने के लिए हमने संभल व हयातनगर में भी ए.टी.एम. के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खराब किया था ड्रिल करके हम लोगो ने करीब 10-15 दिन पहले यहां कस्बा चन्दौसी के कैनरा बैंक के ए.टी.एम.से लॉक तोड़कर करीब 7 लाख रुपये चोरी करके ले गये थे तथा कुछ दिन पहले गुरुग्राम हरियाणा में सैक्टर 37,38 व 14 एवं पालमबिहार में लगे NCR कम्पनी के AXIS BANK के ए.टी.एम. के लॉक को ड्रिल मशीन, पेंचकस, प्लास आदि औजारों से लॉक तोड़कर पैसे चोरी किये थे। चोरी में मिले रूपयो को हम लोगो द्वारा आपस में बराबर- बराबर बांट लेते थे । हम लोगो ने चोरी किये गये पैसों से अपने-अपने लिये गाडियाँ खरीदी, शोरूम खोला, एक प्लाट खरीदा तथा कुछ रूपये अपने बैंक खातों में जमा किये । अपने तथा परिजनों के लिये जेवर आदि भी बनवा लिये । एटीएम से चोरी करने में

गाडी संख्या ईटीओस न0 HR55W6979 व गाड़ी असेंट न0 DL4CAG7946 की नम्बर प्लेट बदलकर घटना में प्रयोग करते है। हम लोगों ने आपस में सम्पर्क बनाया तथा ए.टी.एम. से पैसा चोरी करने की प्लानिंग बनायी, क्यों कि हम लोग पूर्व में एटीएम मशीनों पर काम कर चुके है और ए.टी.एम. मशीन की कमियों से परिचित थे। इसलिये हम सब मिलकर ए.टी.एम. मशीन से पैसे चोरी करने की घटना को अंजाम देते रहे है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संजीव कुमार पुत्र उपेन्द्र गुप्ता निवासी कागेश्वर थाना खैरा जनपद जमुई (बिहार)।
2. अनिल कुमार पुत्र हरप्रसाद निवासी बुद्धनगर थाना उधैती जनपद बदायूँ
3. जैनेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी शहजाद नगर थाना बिल्सी जनपद बदायूँ
4. राजू उर्फ रघुनाथ पुत्र राजाराय निवासी कसई टण्डुआ थाना कोपा जनपद छपारा बिहार
5. कालू उर्फ विक्रम पुत्र कैलाश निवासी कण्टाकोस थाना मनिहारी जनपद कटिहार बिहार

#### गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक –

यूनियन बैंक के एटीएम के पास कचहरी रोड चन्दौसी दिनांक 05.10.2019

#### बरामदगी--

1. 03 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद तमंचा 12 बोर
3. 08 अदद कारतूस जिंदा
4. 01 अदद चाकू अवैध
5. 01 गाडी नम्बर ईटीओस HR55W6979
6. 01 गाडी नम्बर एसेन्ट DL3CBF4885
7. 01 ड्रिल मशीन
8. 05 अदद ड्रिल बिट्स
9. 01 अदद प्लास
10. 01 पेचकस
11. 01 हथौडा
12. 04 पीली धातु के लॉकेट
13. 06 लाख 76 हजार 500 रूपये।
14. 05 मोबाईल फोन।

#### पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 392/19 धारा 427/380/411/420/467/468/471/34 भादवि थाना चन्दौसी
- 2.मु0अ0सं0 413/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजू थाना चन्दौसी

- 3.मु0अ0सं0 414/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनिल थाना चन्दौसी
- 4.मु0अ0सं0 415/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विक्रम थाना चन्दौसी
- 5.मु0अ0सं0 416/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संजीव थाना चन्दौसी
- 6.मु0अ0सं0 417/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम जैनेन्द्र थाना चन्दौसी

### अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 959/19 धारा 380 भादवि थाना सदर जनपद गुरुग्राम हरियाणा
- 2.मु0अ0सं0 577/19 धारा 380 भादवि थाना पालम बिहार जनपद गुरुग्राम हरियाणा
- 3.मु0अ0सं0 226/19 धारा 380 भादवि थाना सैक्टर-37 जनपद गुरुग्राम हरियाणा
- 4.मु0अ0सं0 482/19 धारा 380 भादवि थाना सैक्टर-14 जनपद गुरुग्राम हरियाणा

नोट:- अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मपाल सिंह थाना चन्दौसी मय टीम
2. श्री रविन्द्र सिंह सर्विलांस प्रभारी मय टीम
3. श्री विजेन्द्र मलिक प्रभारी मय स्वाट टीम
4. व0उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना चन्दौसी
5. उ0नि0 श्री प्रताप थाना चन्दौसी

